अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2016 रेवेन्यु

दायर दिनांक 03/05/2016

निर्णय दिनांक 23/07/2024

1. श्री उदा पिता अजुर डामोर उम्र वयस्क
2. श्री रामसन पिता अजुर डामोर उम्र वयस्क निवासीयान अम्बाउ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री काना पिता नाथा डामोर उम्र बालिग
2. श्री रमेश पिता काना डामोर उम्र बालिग
3. श्री प्रताप पिता काना डामोर उम्र बालिग
4. श्री जेशा पिता काना डामोर उम्र बालिग
5. श्री रायसन पिता कालु डामोर उम्र बालिग
6. श्री कालू पिता गमा डामोर उम्र बालिग
7. श्री लक्ष्मण पिता गमा डामोर उम्र बालिग
8. श्री खातू पिता गमा डामोर उम्र बालिग निवासीयान अम्बाउ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
9. श्री भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा दवामी
अन्तर्गत धारा 188/209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित –

वादीगण की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट।

प्रतिवादीगण नं. 1 व 8 की ओर से – एक पक्षीय।

प्रतिवादी नं. 9 की ओर से – पेरोकार सरकार।

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 188/209 रा.टी.एक्ट बाबत स्थायी निषेधाज्ञा दवामी जारी किये जाने का प्रस्तुत किया जाकर मोजा अम्बाउ प.ह. झलाई तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर में वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नं. 29 के खसरा नं. 188 रकबा 4–03 चारबीघा तीन बिस्वा सु.। लगानी 2–93, खसरा नं. 190/1 रकबा 4–16 चार बीघा 16 बिस्वा किस्म सुखी ।। लगानी 2–40, खसरा नं. 191 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भटवेड लगानी 0–34 , एवं खसरा नं. 424/189 रकबा 0–06 बिस्वा सुखी ।। लगानी 15 पैसा कुल खेत 4 रकबा 13–14 तेरह बीघा 15 बिस्वा में से 120/275 वां हिस्सा यानि 6–00 छः बीघा दिनांक 10/06/2015 को आनन्द पिता अमृतलाल महाजन निवासी रोहणिया से क्रय किये जाने से खाते कब्जे काश्त की स्थित है ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मोजा अम्बाउ की उपरोक्त आराजीयात वादीगण द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात् मौके पर कब्जा काश्त होने से नामान्तकरण संख्या 420 जरिये बेचान के वादीगण का कुल आराजीयात 4 रकबा 13–15 तेरह बीघा पन्द्रह बिस्वा का कुल बिस्वा 275 में से 120 बिस्वा वादीगण द्वारा क्रय किये जाने से 120/275 रकबे का प्रमाणित होकर खातेदार काश्तकार रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित है । उक्त रकबे पर वादीगण द्वारा दिनांक 10/06/2015 क्रय करने के पश्चात् वादीगण काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं । प्रतिवादीगण का उपरोक्त वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है । वादीगण वर्ष 2016 में अपने कब्जे काश्त की आराजी में फसल बोवाई करने साफ सफाई कर रहे थे तो प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की आराजी पर आये और अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर कहने लगे कि गिरीश आनन्द की समस्त आराजीयात हमारी है इस लिए यहां से कब्जा छोड कर चले जाओ नहीं तो जिन्दा नहीं छोडेगें इस प्रकार काश्त करने में व्यवधान पैदा करने से वादीगण की ओर से अपने खाते की आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का वाद प्रस्तुत किया ।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर वकील नियुक्त कर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा ।

प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये गये लेकिन उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने से किसी प्रकार की तनकीयात का विचरण नहीं किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण में नियत की गई ।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता या प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 09/07/2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वादीगण की ओर से दिनांक 16/07/2024 को साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं के एवं गवाहान पीडबल्यु 1 उदा एवं पीडब्ल्यु 2 व 3 के रूप में रमणलाल, मगनलाल के बयान सशपथ लिपिबद्व करवाते हुए दस्तावेज खतोनी प्रदर्श – 1 एवं नामान्तकरण प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई जाकर अपनी साक्ष्य समाप्त की गई । वादीगण की ओर से बहस एकपक्षीय सुनी गई ।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहान के बयान के अनुसार विवादित आराजीयात के वादीगण स्वतंत्र खातेदार होना पाया जाता है । प्रतिवादीगण की ओर से न तो जवाब प्रस्तुत हुआ और न ही स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं । इस प्रकार वादीगण अपने वाद को साबित करवाने में सफल रहे होने से वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

क्रियात्मक आदेश

कि वादीगण का वाद बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा के स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मोजा अम्बाउ प.ह. झलाई तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर में वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नं. 29 के खसरा नं. 188 रकबा 4–03 चारबीघा तीन बिस्वा सु.। लगानी 2–93, खसरा नं. 190/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

4–16 चार बीघा 16 बिस्वा किस्म सुखी II लगानी 2–40, खसरा नं. 191 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भटवेड लगानी 0–34 , एवं खरारा नं. 424/189 रकबा 0–06 बिस्वा सुखी II लगानी 15 पैसा कुल खेत 4 रकबा 13–14 तेरह बीघा 15 बिस्वा में से 120/275 वां हिस्सा यानि 6–00 छः बीघा में प्रतिवादीगण वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षप नहीं करें, अतिकमण नहीं करें, किसी प्रकार से फसली नुकसान नहीं पहूँचाएं और न ही ऐसा कृत्य करें जिससे कि वादीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहूँचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, ठेकेदार, मजदुर, हितैशी से ही करावें । साथ ही तहसीलदार सीमलवाडा के नाम आदेश पारित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय की पालना करावें एवं मौके पर दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के किसी आराजी पर अतिकमण कर लिया गया हो तो प्रतिवादीगण को वे दखल किया जाकर भूमि अतिकमण मुक्त करवाई जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें एवं प्रतिवादीगण को भविष्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं किये जाने पाबंद किया जाना सुनिश्चित करें । निर्णयानुसार डिकी जारी की जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे ।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)
(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2016 रेवेन्यु

निर्णय दिनांक 23/07/2024

1. श्री उदा पिता अजुर डामोर उम्र वयस्क
2. श्री रामसन पिता अजुर डामोर उम्र वयस्क निवासीयान अम्बाउ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. श्री काना पिता नाथा डामोर उम्र बालिग
2. श्री रमेश पिता काना डामोर उम्र बालिग
3. श्री प्रताप पिता काना डामोर उम्र बालिग
4. श्री जेशा पिता काना डामोर उम्र बालिग
5. श्री रायसन पिता कालु डामोर उम्र बालिग
6. श्री कालू पिता गमा डामोर उम्र बालिग
7. श्री लक्ष्मण पिता गमा डामोर उम्र बालिग
8. श्री खातू पिता गमा डामोर उम्र बालिग निवासीयान अम्बाउ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
9. श्री भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा दवामी
अन्तर्गत धारा 188/209 रा.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राकेश कुमार न्योल आरएएस व हाजरी श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुददईयान व प्रतिवादी नं. 1 से 8 की ओर से एक्स पार्टी एवं प्रतिवादी नं. 9 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वादीगण का वाद बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा के स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मोजा अम्बाउ प.ह. झलाई तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर में वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नं. 29 के खसरा नं. 188 रकबा 4–03 चारबीघा तीन बिस्वा सु.। लगानी 2–93, खसरा नं. 190/1 रकबा 4–16 चार बीघा 16 बिस्वा किरम सुखी ।।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

लगानी 2–40, खसरा नं. 191 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भटवेड लगानी 0–34 , एवं खसरा नं. 424/189 रकबा 0–06 बिस्वा सुखी ।। लगानी 15 पैसा कुल खेत 4 रकबा 13–14 तेरह बीघा 15 बिस्वा में से 120/275 वां हिस्सा यानि 6–00 छः बीघा में प्रतिवादीगण वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षप नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करें, किसी प्रकार से फसली नुकसान नहीं पहूँचावे और न ही एसा कृत्य करें जिससे कि वादीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहूँचे , एसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, ठेकेदार, मजदुर, हितैशी से ही करावें। साथ ही तहसीलदार सीमलवाडा के नाम आदेश पारित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय की पालना करावें एवं मौके पर दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के किसी आराजी पर अतिक्रमण कर लिया गया हो तो प्रतिवादीगण को बे दखल किया जाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें एवं प्रतिवादीगण को भविष्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं किये जाने पाबंद किया जाना सुनिश्चित करें ।

खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/07/2024 को जारी की गई।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मोहर

मुददई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	
मिजान			

Scanned with OKEN Scanner